भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *167

जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों की जर्जर स्थिति

*167. श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की जर्जर स्थिति का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं और उनकी मरम्मत के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ख) इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'राष्ट्रीय राजमार्गों की जर्जर स्थिति' के संबंध में श्री सचिदानन्दम आर. द्वारा पूछे गए दिनांक 31.07.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 167 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) ठेकेदार/रियायतग्राही, राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं के डिजाइन, विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें संबंधित मानक संविदा/रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) मोड या निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) मोड या हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) पर कार्यान्वित कार्य के पूरा होने के बाद दोष देयता अवधि (डीएलपी)/रियायत अवधि के दौरान दोषों का सुधार शामिल है।

यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देशों और संहिताओं (कोड्स) में विनिर्दिष्ट निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार हो। राजमार्ग निर्माण में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन एजेंसियों द्वारा निर्माण स्थल (साइट) पर कार्यों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए परामर्शदाता (प्राधिकरण के इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियर-एई/आईई) नियुक्त किए जाते हैं। निष्पादन एजेंसियों के अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रियायतग्राही/ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे संविदा/रियायत करार की तकनीकी अनुसूचियों में निर्दिष्टानुसार या निष्पादन एजेंसी/एई/आईई द्वारा निर्धारित की गई उचित अवधि के भीतर आवश्यक दोषनिवारक / सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए रियायतग्राहियों/ठेकेदारों के ध्यान में लाया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों के कार्यान्वयन में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों में सुधार के लिए निम्नलिखित पहल की हैं: -

i. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में स्वचालित और कुशल /मशीन-सहायता प्राप्त निर्माण (एआई-एमसी) को अपनाना;
ii. निर्माण पूरा होने के समय और उसके बाद हर छह माह में एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (एनएसवी) के माध्यम से सड़क की स्थिति का आकलन; समर्पित केंद्रीय सेल के माध्यम से संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के दौरान संविदात्मक प्रावधानों के विश्लेषण और प्रवर्तन का उपयोग करके सड़क की स्थिति के आकलन के लिए एनएसवी प्रणाली का और अधिक सुधार;
iii. राजमार्ग की निगरानी और खामियों को ठीक करने के लिए एनएचएआई वन ऐप नामक एक केंद्रीकृत प्रणाली का संचालन, जिससे फोटोग्राफ के साथ खामियों की जियो-टैगिंग की जाती है;

iv. चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता के आवधिक मूल्यांकन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ एकीकृत ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम (डीएएमएस) में ड्रोन सर्वेक्षणों से एकत्रित उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी का समय-समय पर विश्लेषण;

v. परियोजना कार्यान्वयन चरणों के दौरान समय-समय पर कार्यों की समग्र स्थिति और गुणवत्ता के नैदानिक (डायग्नोस्टिक्स) आकलन के लिए चार राज्यों अर्थात् गुजरात, राजस्थान, ओडिशा और कर्नाटक में पायलट आधार पर गैर-विनाशकारी परीक्षण उपकरणों से लैस मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन (एमक्यूसीवी) चलाना;

vi. मामला-दर-मामला आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की स्वतंत्र गुणवत्ता लेखा परीक्षा के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता लेखा परीक्षकों की नियुक्ति।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से सरकार ने निर्माण की गुणवत्ता सहित राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जन प्रतिनिधियों आदि सहित अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के अलावा, लोक शिकायत पोर्टल और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करने की प्रणाली संस्थापित की है। सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और निगरानी के अलावा इन शिकायतों का भी संज्ञान लेती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए रियायतग्राहियों/ठेकेदारों द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

किसी भी चूक के मामले में संविदा/रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जैसे संविदा करार को समाप्त करना, जुर्माना/परिसमापन हर्जाना लगाना, निषेध/काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डालना, गैर-निष्पादक घोषित करना आदि।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की निष्पादन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों (2024-25 सहित) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों/लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को छोड़कर) के दौरान एनएच कार्यों में प्रमुख कमियों/क्षति के संबंध में 81 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन कमियों/क्षतिओं को ठीक करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। संबंधित संविदात्मक प्रावधानों, जहां भी लागू हो, के अनुसार ठेकेदार/रियायतग्राही/एई/आईई आदि के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

*****